

संख्या:पीसीएच-एचए(5)89-1 - 12037-12183
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

निदेशक एवं विशेष सचिव(पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित:

1. समस्त जिलाधीश,
हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हि0प्र0
3. समस्त जिला पंचायत अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

शिमला-171009

दिनांक 16 मार्च, 2018.

विषय:-

पंचायतों द्वारा निजी भूमि निर्मित किए जाने वाले एम्बुलेंस सड़कों के बारे में। *Regarding ambulance roads being built by Panchayats on private land.*

महोदया/महोदय,

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 14.3.2018 के अनुक्रम में मुझे यह सूचित करना है कि ग्राम पंचायतों द्वारा निजी भूमि में एम्बुलेंस सड़क के निर्माण पर भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रक्रिया को पूर्ण करने में लम्बा समय लगने के कारण विकास कार्य के निष्पादन की गति में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है अतः पंचायत द्वारा निजी भूमि पर एम्बुलेंस सड़क के निर्माण कार्य को करने के लिए विभाग के नाम भूमि हस्तान्तरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। ग्राम पंचायत निजी भूमि मालिक से सादे कागज पर सहमति लेकर इस कार्य को प्रारम्भ करे।

भवदीय,

(राकेश कंवर)

निदेशक एवं विशेष सचिव(पं0रा0),
हिमाचल प्रदेश सरकार।